न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–45 सन् 2021

जनार्दन चौधरी...वादी।

बनाम

जगदीश चौधरी वगैरह...............................प्रतिवादी।

दिनांक– 19.02.2024

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उभय पक्ष उचित पैरवी करें। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0 03 ता 05 की ओर से स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 11.04.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी सं0 03 ता 05 का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी ने इस मुकदमा में इंतनाई का आवेदन दिया है। इसलिए विवादित एराजी का वर्तमान स्वरूप को अभिलेख पर लाना जरूरी है। जिसके लिए अदालत द्वारा किसी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कराकर प्रतिवेदन मंगवाना जरूरी है। अतः निवेदन है कि अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति कर आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मंगाने की कृपा प्रदान की जाए।

वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 18.08.2022 को दाखिल कर कथन है कि जिस उनवान वो बयान के साथ प्रतिवादी ने अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दाखिल किया है वह हरगिज स्वीकार होने योग्य नहीं है, बल्कि काबिले खारिज के है। उक्त तकरारी एराजी की खरीदगी भूमि उभय पक्ष के पूर्वज सूरज चौधरी ने स्वयं के नाम वो चंद एराजी अपनी पत्नी वो भी चंद एराजी अपने बड़े पुत्र 'नाबालिग' के नाम पर किए वक्त खरीदगी वादीगण वो प्रतिवादी फरीक 01 भी नाबालिग थे। प्रतिवादी को उक्त आवेदन दाखिल करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी द्वारा सिर्फ वादीगण को परेशान करने वो साक्ष्य एकत्रित करने के ख्याल से आवेदन दाखिल किया गया है। जो कानूनी स्वीकार होने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल अधिवक्ता अ ायुक्त नियुक्ति आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 03 ता 05 अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर तकरारी एराजी की वर्तमान वस्तुत स्थिति अभिलेख पर लाने हेतु दाखिल किया है। वादी का

आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी ने इस मुकदमा में इंतनाई का आवेदन दिया है। इसलिए विवादित एराजी का वर्तमान स्वरूप को अभिलेख पर लाना जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी सं0 03 ता 05 की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 11.04.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3000/–रूपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री अभिषेक कुमार सिंह को नियुक्ति किया जाता है।

वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।